सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का

तृतीय सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का तृतीय सत्र सोमवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को राष्ट्र गान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
तृतीय सत्र	3	सितम्बर माह - 15, 17 व 18

सदस्यों द्वारा शपथ/प्रतिज्ञान

सत्र के दौरान चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए हुए उप चुनावों में निर्वाचित अग्रांकित सदस्यों ने शपथ/प्रतिज्ञान किया -

1. श्री भजनलाल (निर्वाचन क्षेत्र - वैर)	17.9.2014	हिन्दी
2. श्री रामनारायण (निर्वाचन क्षेत्र - नसीराबाद)	17.9.2014	हिन्दी
3. श्री संदीप शर्मा (निर्वाचन क्षेत्र - कोटा-दक्षिण)	18.9.2014	हिन्दी
4. श्री श्रवण कुमार (निर्वाचन क्षेत्र - सूरजगढ़)	18.9.2014	हिन्दी

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सत्र के दौरान निम्न विषयों पर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा सदन में वक्तव्य दिया गया -

क्र.	मंत्री का नाम	दिनांक	विषय
1.	श्री राजेन्द्र राठौड़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	17.9.2014	सर्पदंश उपचार के इन्जेक्शन की राज्य में कथित रूप से कमी होने के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर 3 सदस्यों ने स्पष्टीकरण चाहे जिनका मंत्री ने उत्तर दिया।
2.	श्री कालीचरण सराफ शिक्षा मंत्री	18.9.2014	शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शिक्षकों, मंत्रियों एवं राजस्थानवासियों के सम्बन्ध में कथित रूप से दिये गये अमर्यादित बयान के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया।

अध्यक्षीय व्यवस्था

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जो दो विधेयक आज पुरःस्थापित किये जा रहे हैं एक राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 तथा दूसरा दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014, ये दोनों ही विधेयक केन्द्रीय कानून हैं यदि यह केन्द्रीय कानून हैं तो उनका उल्लेख इनमें करना पड़ेगा। साथ ही यदि राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 में संशोधन कर रहे हैं और यदि इस केन्द्रीय कानून में संशोधन कर रहे हैं तो वह इसमें नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो उसके अंश का इसमें उल्लेख करते, जो नहीं किया गया है और यदि यह नया विधेयक है तो क्या हम केन्द्रीय कानून को सुपरसीड कर विधान सभा में बिल ला सकते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। राजस्थान में जो केन्द्रीय कानून बना जो 1 जनवरी, 2014 से लागू किया गया है, उससे बेहतर कानून है इसे मंत्रिमण्डल ने पारित किया है तथा यह राष्ट्रपति की असेन्ट के लिए जायेगा, जिसका संविधान में प्रावधान है। यह एक अलग से उससे हटकर कानून है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'विधेयक के पुरःस्थापन के समय आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते, इस प्रकार की पूर्व में भी व्यवस्था दी गई है। This is conventional for the House that when a bill is introduced for the first stage it is ordinarily allowed and when the stage of discussion on the principles comes the Hon'ble Members of the House have full liberty to discuss them to raise any objection. कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। यह एक रूलिंग है। अतः मैं व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त करता हूँ।'

संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया -

'यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्सीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है।[That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clause (b) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty First Amendment) Bill, 2014, as passed by the both the House of Parliament.]'

संकल्प पर हुए वाद-विवाद में 18 सदस्यों ने भाग लिया तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र राठौड़ ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। संकल्प सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

स्थगन प्रस्ताव

तृतीय सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 12 माननीय सदस्यों के 21 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से 6 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा अभियुक्ति दी गई । स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 7 सदस्यों ने 14 प्रस्ताव, बहुजन समाज पार्टी के 2 सदस्यों ने 2 प्रस्ताव, नेशनल पीपुल्स पार्टी के डॉ. किरोड़ी लाल ने 2 प्रस्ताव तथा 2 निर्दलीय सदस्यों ने 3 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में से इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत ने 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। सर्वाधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य श्री रमेश ने 3 प्रस्ताव प्रस्तुत किये जबकि शेष ग्यारह सदस्यों में से सात सदस्यों ने 2-2 तथा चार सदस्यों ने 1-1 प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 27 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 27 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इनमें से 26 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा शेष एक सूचना जो श्रीमती गोलमा की थी, को पढ़ा हुआ माना गया। सभी सदस्यों ने एक-एक सूचना सदन में प्रस्तुत की। भारतीय जनता पार्टी के 20 सदस्य, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 4 सदस्य, 2 निर्दलीय सदस्य तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी की श्रीमती गोलमा द्वारा सूचनायें प्रस्तुत की गईं । चार महिला सदस्यों श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं श्रीमती शिमला बावरी (भाजपा), श्रीमती गोलमा (नेशनल पीपुल्स पार्टी) तथा श्रीमती शकुन्तला रावत (इनेकां) द्वारा एक-एक सूचना प्रस्तुत की गई।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 8 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 10 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को श्री शंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत विषय पर श्री गुलाब चन्द कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई । भारतीय जनता पार्टी के 7 सदस्यों द्वारा 9 विषय तथा इण्डियन नेशनल कांग्रेस के श्री घनश्याम द्वारा 2 विषय उठाये। महिला सदस्यों में से भाजपा की श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने एक विषय सदन में उठाया। सदन में सर्वाधिक 2-2 विषय श्री घनश्याम (इनेकां) तथा श्री अमराराम (भाजपा) ने उठाये। शेष सदस्यों ने एक-एक विषय उठाया।

प्रश्न काल

प्रश्न काल हेतु माननीय सदस्यों से प्रश्न प्राप्त करने, प्रश्नों की शलाका निकालने एवं मुद्रित सूचियां राज्य सरकार को भिजवाने हेतु नियमानुसार समयाभाव के कारण तृतीय सत्र में प्रश्न काल नहीं हुआ।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

तृतीय सत्र के दौरान कार्य सलाहकार समिति के दो प्रतिवेदन दिनांक 15 एवं 17 सितम्बर, 2014 को सदन में उपस्थापित किये गये।

विधायी कार्य

(क) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
21/2014	राजस्थान भूमि विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2014	17.9.2014	18.9.2014	18.9.2014
22/2014	राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014*	17.9.2014	-	-
23/2014	दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	17.9.2014	18.9.2014	18.9.2014
24/2014	राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014	18.9.2014	18.9.2014	18.9.2014

* विधेयक दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य तृतीय सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

नाम	पद	निधन की तिथि
	[15.09.2014]	
1. श्री मोहम्मद फजल	पूर्व राज्यपाल, गोवा एवं महाराष्ट्र	04.09.2014
2. श्री भैरूंलाल मीणा	पूर्व सदस्य, सातवीं व आठवी विधान सभा	19.08.2014
3. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत	पूर्व सदस्य, पाँचवीं विधान सभा	08.08.2014
4. श्री भीमराज मीणा	पूर्व सदस्य, दसवीं विधान सभा	15.08.2014
5. श्री रघुवर दयाल	पूर्व सदस्य, आठवीं विधान सभा	07.09.2014
6. श्री रामेश्वर लाल सैनी	पूर्व सदस्य, पाँचवी विधान सभा	14.09.2014
7. जम्मू एवं कश्मीर एवं अन्य राज्यों में आयी बाढ़ के मृतक		
	[17.09.2014]	
8. श्री हरिकुमार औदिच्य	पूर्व सदस्य, आठवीं एवं नौवीं विधान सभा	16.09.2014
9. श्री पूंजालाल गरासिया	पूर्व सदस्य, दसवीं विधान सभा	15.09.2014